कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली
प्रेस नोट दिनांक: 21.08.2026

□थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घण्टे के अन्दर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

□ नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

घटना-
दिनांक थाना चकिया पर वादी से तहरीर प्राप्त हुआ कि उनकी नाबालिग पौत्री को आरोपी मोहन प्रजापति पुत्र छेदी निवासी वार्ड नं. 3 शमशेर नगर, कस्बा चकिया घर पर आकर खिलाते हुए बाहर लेकर चला गया। आरोपी द्वारा मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया तथा लगभग डेढ़ घंटे बाद उसे घर लाकर छोड़ दिया गया। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चकिया पर मु.अ.सं. 217/2026, धारा 65(2) BNS एवं 5m/6 पोक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह के नेतृत्व में थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 217/2026 धारा 65(2) बीएनएस व 5M/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मोहन प्रजापति पुत्र छेदी निवासी वार्ड नं0- 3 शमशेर नगर थाना चकिया जनपद चन्दौली को इण्टर कॉलेज के पीछे से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ विवरण-
पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 20.08.2026 को उसने नाबालिग बच्ची को उसके घर से बाहर ले जाकर ऑटो संख्या UP67BT6703 में बैठाया तथा मोहम्मदाबाद की ओर ले गया। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, कुछ समय पश्चात नाबालिग बच्ची को उसके घर के पास छोड़कर मौके से फरार हो गया था।

नाम पता अभियुक्त-
1.मोहन प्रजापति पुत्र छेदी निवासी वार्ड नं0 3 शमशेर नगर थाना चकिया जनपद चन्दौली

पंजीकृत अभियोग-
1- मु0अ0सं0 217/2026 धारा 65(2) बीएनएस व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
1.थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली ।
2.उ0नि0 सुनील कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली ।
3.रि0का0 अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली